

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2026—ज्येष्ठ 22, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2026

क्रमांक एफ-7-10/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एम.आर. आहिरे (भापुसे-2010), पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 25-05-2026 से 02-06-2026 (कुल 09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 23 एवं 24 मई 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री आहिरे (भापुसे), पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री आहिरे (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आहिरे (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री एम.आर. आहिरे (भापुसे-2010), पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष शर्मा (भापुसे-2009), पुलिस उप महानिरीक्षक (योजना-प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2026

क्रमांक File No. RULE/237/2026-LABOUR.—राज्य शासन एतद्वारा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निम्नानुसार 07 शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाता है :—

- | | | | |
|----|-------|---|--|
| 1. | सदस्य | — | सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| 2. | सदस्य | — | सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग |
| 3. | सदस्य | — | सचिव, वित्त विभाग |
| 4. | सदस्य | — | सचिव, स्वास्थ्य विभाग |
| 5. | सदस्य | — | सचिव, उद्योग विभाग |
| 6. | सदस्य | — | महाप्रबंधक, जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर |
| 7. | सदस्य | — | श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कीर्तिवर्धन उपाध्याय, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2026

भू-अर्जन प्र. क्रमांक/06/अ-82/2024-25.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
बिलासपुर	कोटा	धौराभाठा (कोटा)	0.028 हेक्टेयर	कोटसागर जलाशय योजना नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-5-2026 को (समय) 11:00 बजे (स्थान ग्राम पंचायत भवन कोटा) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कोटसागर जलाशय योजना नहर निर्माण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	कोटसागर जलाशय योजना नहर निर्माण
(आठ)	परियोजना का कुल लागत	—	 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	खरीफ सिंचाई सुविधा का विस्तार
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु दल का गठन कर प्रस्तावित भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराया गया, जिसमें किसी व्यक्ति/कुटुम्बों का विस्थापन नहीं हो रहा है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 982/20251242100030/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मनुवापाली प.ह.नं. 45	27.852	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 987/20251242100029/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामगांव प.ह.नं. 44	2.439	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

जशपुर, दिनांक 8 मई 2026

क्रमांक 277/202402031700001/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	कुनकुरी प.ह.नं. 24	0.393	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग (भ/स), जशपुर	थाना परिसर कुनकुरी के थाना निर्माण अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 मई 2026

क्रमांक 281/202602031700018/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	दुलदुला	दुलदुला प.ह.नं. 03	0.631	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग (भ/स), जशपुर	पुलिस थाना दुलदुला के थाना निर्माण अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित व्यास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 843/202512042100014/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तिलगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.131 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
571/1	0.016
775	0.025
548/1	0.010
805	0.024
570/3	0.014
546/3	0.030
689/8	0.012
योग	07
	0.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2026

क्रमांक/1558/भू-अर्जन/कले./2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमड़ीपारा, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.769 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232/2	0.024
232/1	0.020
244/2	0.041
244/3	0.016
301	0.024
297	0.040
298	0.012
299	0.028
224	0.041
677	0.140
259/2	0.036
259/1	0.032
231/1	0.041
261	0.065
262	0.020
264	0.008
324/5	0.064
628/5	0.069
220	0.069
183/1	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
570/1	0.024	145/1	0.076
667/1	0.040	202/2	0.052
155/2	0.032	676/2	0.020
570/3	0.024	439	0.044
648	0.028	575	0.016
173/4	0.048	198	0.016
307/1	0.032	364/1	0.081
204/1	0.076	670	0.081
655	0.064	360/1	0.041
160	0.041	440/1	0.105
214	0.121	627/2	0.156
630	0.128	396	0.008
645/1	0.052	175/1	0.004
685	0.061	317/1	0.040
110	0.092	317/3	0.052
311	0.077	317/2	0.020
312	0.024	202/3	0.052
314	0.004	659	0.128
249/1	0.109	641	0.072
285/1	0.012	251/1	0.045
144	0.077	438/1	0.032
199	0.077	251/2	0.048
638	0.121	438/2	0.032
661	0.048	109	0.057
1346	0.041	280	0.064
153/1	0.064	281	0.008
173/1	0.044	282	0.012
173/8	0.012	284	0.081
307/2	0.032	202/1	0.048
642	0.045	589	0.096
641	0.072	676/1	0.016
251/1	0.045	182/2	0.057
438/1	0.032	200	0.061
251/2	0.048	237	0.144
438/2	0.032	108	0.057
109	0.057	145/1	0.076
280	0.064	202/2	0.052
281	0.008	676/2	0.020
282	0.012	439	0.044
284	0.081	575	0.016
202/1	0.048	198	0.016
589	0.096	364/1	0.081
676/1	0.016	670	0.081
182/2	0.057	360/1	0.041
200	0.061	440/1	0.105
237	0.144	627/2	0.156
108	0.057	396	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
175/1	0.004	570/4	0.024
317/1	0.040	643	0.077
317/3	0.052	673	0.056
317/2	0.020	676/3	0.121
202/3	0.052	694/1	0.121
659	0.128	674	0.008
658	0.008	713/2	0.068
682	0.214	715/2	0.088
683	0.144	713/1	0.068
644	0.081	715/1	0.088
106	0.024	441/2	0.048
320	0.064	308	0.012
672	0.081	582/2	0.040
629	0.069	582/3	0.044
707	0.081	582/4	0.048
708	0.020	582/5	0.041
709	0.028	582/6	0.032
710	0.008	582/7	0.041
153/2	0.064	582/8	0.041
249/2	0.045	582/9	0.032
307/3	0.040	582/10	0.028
278/2	0.076	624	0.020
289	0.020	582/11	0.032
250	0.096	582/12	0.032
278/1	0.008	597	0.041
296	0.040	598	0.020
201	0.008	324/2	0.041
649	0.008	324/1	0.041
657	0.040	628/5	0.008
671	0.072	153/4	0.012
637/15	0.136	173/6	0.008
668	0.020	159	0.056
379/1	0.064		
569	0.069	योग	154 7.769
223	0.020		
716	0.032	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गागर व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत.	
363/1	0.041		
258/1	0.076	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है	
302	0.040		
155/3	0.020		
667/3	0.008		
570/2	0.012	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
155/1	0.020	राजेन्द्र कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/GENS/6215/2025-Section-Scheme/Registration.—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/152 दिनांक 20-09-2023 के कंडिका (घ), में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

कंडिका (घ) योजना में देय हितलाभ :— मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रु. 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रु.) एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा. के स्थान पर

1. “मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रुपये 1,50,000/- (अक्षरी एक लाख पचास हजार रु.) अनुदान के रूप में दो किश्तों में देय होगा —

- (i) प्रथम किश्त राशि रुपये 75,000/- आवेदन स्वीकृति उपरांत देय होगा.
- (ii) द्वितीय किश्त राशि रुपये 75,000/- आवास पूर्ण उपरांत भौतिक सत्यापन पर देय होगा.

2. नवीन आवास क्रय हेतु राशि रुपये 1,50,000/- भौतिक सत्यापन पर देय होगा.”

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

गिरीश रामटेके
सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 830/202510042100007/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1510, रायगढ़ दिनांक 10-10-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 43, भाग-1, पृ.क्र. 1164, दिनांक 24-10-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-24-10-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

ग्राम-गोतमा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा	2/1	0.022
			4/1	0.081
			4/2	0.065
			103, 105	0.012
			3/1	0.066
			16/1	0.048
			15/1	0.051
			13/7	0.081
			346/4	0.123
			12/4	0.053
			12/2	0.038
			29/3	0.061
			28	0.081
			913	0.021
			32/3	0.053
			37	0.091
			39/2	0.081
			917/2	0.021
			39/1	0.057
			64	0.018
			87	0.031
			104	0.189
			63	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			317/1	0.028
			348/2	0.069
			65/1	0.235
			84	1.360
			101	0.031
			99	0.012
			100/2	0.171
			346/2	0.023
			347	0.054
			100/1	0.105
			166	0.069
			346/3	0.069
			167	0.181
			165	0.180
			164/2	0.312
			163/1	0.179
			163/2	0.040
			312	0.081
			314/1	0.020
			314/2	0.134
			319/1	0.078
			38/2	0.091
			316	0.060
			317/2	0.051
			317/4	0.050
			932/1	0.129
			346/1	0.021
			345/1	0.091
			334/1	0.073
			334/3	0.190
			345/2	0.073
			345/3	0.083
			931	0.060
			930/28	0.028
			930/31	0.079
			930/29	0.032
			930/34	0.095
			930/27	0.063
			930/33	0.133
			930/20	0.185
			930/30	0.090
			930/35	0.141

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			914	0.061
			917/1	0.050
			920	0.085
			915	0.060
			921	0.021
			922/3	0.024
		कुल	71	6.906

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 840/202508042100024/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1214, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 621, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05 सितम्बर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-देवलसूरा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	देवलसूरा	53/2क/1	0.032
			53/1क/3	0.258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			574/4	0.096
			592/2	0.112
			578/1	0.067
			579/1	0.020
			580/1	0.020
			580/2	0.079
			578/2	0.075
			580/3	0.022
			557/2	0.008
			581/1	0.040
			581/2	0.040
			582	0.028
			31/1	0.135
			558	0.187
			548	0.060
			547	0.042
			546	0.085
			523	0.121
			3	0.222
			14	0.030
			1/1	1.114
			28	0.020
			29	0.020
			30/2	0.048
			30/1क	0.028
			30/1ख	0.020
			30/1ग	0.018
			562/1ख	0.012
			560	0.065
			559/2	0.030
			557/3	0.020
			42/1	0.121
			43	0.061
			54	0.195
			562/1ग	0.120
			42/2	0.125
			563	0.234
			41/1	0.061
			565	0.034
			36	0.083
			566/1	0.105
		योग	43	4.313

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1095/202605042100007/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-ओड़ेकेला, प.ह.नं. 33, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

अनुसूची

ग्राम-ओड़ेकेला, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	ओड़ेकेला	246, 247	0.231
			242	0.180
			241/5	0.026
			241/6	0.144
			241/1	0.147
			234/1	0.035
			239/1	0.089
			240/4	0.047
			239/3	0.032
			234/8	0.052
			234/9	0.052
			236/1, 236/2	0.057
			238/1क	0.151
			236/3	0.065
			235/2	0.024
			235/1	0.064
			236/4	0.113
			238/2	0.135
			227/1	0.164
			3/1	0.016
			2/1	0.206
योग			22	2.030

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1097/202605042100004/बी-121/2025-26. — राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कोतासुरा, प.ह.नं. 26, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

ग्राम-कोतासुरा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कोतासुरा	952	0.234
			958/3	0.084
			957	0.124
			956/1	0.025
			958/1	0.225
			961/3	0.132
			956/3	0.024
			958/2	0.129
			963/1	0.022
			961/1	0.180
			962/2	0.057
			963/4	0.220
			962/1	0.132
			930/2	0.069
			963/5	0.157
			963/6	0.076

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			928/2	0.008
			963/3	0.016
			963/7	0.162
		योग	19	2.076

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1100/202605042100006/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-जेवरीडीह, प.ह.नं. 23, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

अनुसूची

ग्राम-जेवरीडीह, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	जेवरीडीह	182	0.227
			180	0.028
			113/2	0.038
			179	0.122
			177, 178/1	0.097
			176/1	0.184
			174/1, 175	0.067
			174/2	0.064
			256/5	0.036
			176/2	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			172/3, 172/4	0.064
			172/5	0.116
			172/2	0.084
			172/9	0.141
			140	0.075
			141/262	0.093
			171/3	0.073
			171/7	0.073
			139/1	0.065
			139/2	0.065
			218/9	0.045
			218/10	0.182
			218/1, 218/8	0.147
			218/7	0.105
			219/10	0.117
			118/1	0.053
			118/4	0.020
			219/6	0.095
			118/3	0.065
			113/4/2	0.097
			113/4/3	0.045
			113/3/क	0.008
			113/3/ख, 113/3/ग	0.111
			173	0.061
			111/1	0.016
			105/1	0.025
			265/2	0.081
			105/2	0.028
			106/2, 106/5	0.297
			105/3	0.028
			106/3/ख, 106/7	0.081
			102/1	0.065
			104	0.065
योग			48	3.557

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

क्रमांक 764/दो-3-39/2010.— श्री लीलाधर सारथी, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

क्रमांक 765/दो-3-36/2010.— श्रीमती कीर्ति लकड़ा, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

क्रमांक 766/दो-11-4/2011.— श्रीमती अनिता डहरिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

क्रमांक 767/दो-3-26/2014.— श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.